न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 47 / 2021

प्रार्थीगण:–

1. आत्माराम पुत्र बगदाराम जाति गरूड़ा निवासी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर (राज.)
2. पानी पत्नी बगदाराम जाति गरूड़ा निवासी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर (राज.)

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. जेठा पुत्र रामा
2. निम्बा पुत्र रामा
3. वलिया पुत्र रामा
4. नोजी पत्नी रामा जातियान रबारी निवासीयान कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर
5. तगा पुत्र जैसा जाति भील
6. बंशील पुत्र अदराराम जाति भील निवासीयान कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर
7. गंगासिंह पुत्र भंवरसिंह
8. जालमसिंह पुत्र भंवरसिंह जातियान राजपूत निवासीयान कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर
9. नवाराम पुत्र उकाराम
10. बाबरराम पुत्र उकाराम
11. समरथा पुत्र सावाराम जातियान रबारी
12. गेपाराम पुत्र रामाराम जाति रबारी
13. गीगाराम पुत्र रामाराम जाति रबारी
14. गेपाराम पुत्र बाबरा
15. दूदाराम पुत्र मंगलाराम
16. लेहरो पत्नी मंगलाराम
17. मोडाराम पुत्र गडकूराम
18. हीराराम पुत्र बाबराराम जातियान रबारी निवासीयान कुण्डल
19. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री मुनीर अली पठान अधिवक्ता
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:55 IST
Reason: SelfAttested

आदेश ::–

दिनांक :– 2[illegible]2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू. रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्तिम चौसला आधार सवंत् 2071 –2071 सरहद मौजा कुण्डल पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 102 रकबा 8.0775 हैक्टयर भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा कुण्डल पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 102 रकबा 8.0775 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.08.20.. खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:55 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाचक/2021/7014   दिनांक :02/09/2021

प्रार्थी   **बनाम**   **विप्रार्थीगण**

आत्माराम वगैरह   **जेठा वगैरह**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

राजस्व आवेदन सं....47/2021   दिनांक :– 24.08.2021

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम कुण्डल पटवार मण्डल कुण्डल तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 102 रकबा 8.0775 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार, सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींस रूपये 500/–प्रार्थी अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाचक/2021/7015–7018   दिनांक : 02/09/2021

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी सिवाना
3. हल्का पटवारी कुण्डल को मय [illegible] नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. आत्माराम पुत्र बगदाराम जाति गरूड़ा [illegible] जिला बाडमेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:45:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)